न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीमा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 128 / 2019(GCMS 2019/00215)

राज्य सरकार जरिये सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी (अधि.) श्रीगंगानगर

बनाम

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राजकुमार मार्फत मै.राज. टा[illegible]चर एण्ड गैस वैल्डिंग बीकानेर रोड़, सिटी पुलिस थाने के सामने, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संजीव कुमार के अधिवक्ता श्रीमती मंजू गुप्ता को बार–बार आवाज़े लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 05.01.2020 को उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया था उसके पश्चात दिनांक 02.09.2024 को सुनवाई हेतु अंतिम मौका दिया गया था, उसके पश्चात प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे है। विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, उपस्थित हुई। विभागीय प्रतिनिधि की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संजीव कुमार के अधिवक्ता ने लिखित जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध गलत कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही के दौराने ही प्रार्थी के द्वारा समस्त कागजात सिलेण्डर के पेश किये गये थे। सिलेण्डर की कॉपी, दो सिलेण्डर प्रार्थी के नाम से है व अन्य सिलेण्डर उसे पिता राजकुमार व भाई पंकज कुमार का है। वे भी मौका पर बुलाने पर उपस्थित आ गये थे, परन्तु अधिकारी के द्वारा उन्हें न सुना गया न कागजात देखे गये, गलत तौर पर सिलेण्डर सीज किया गया है। सिलेण्डर के कागजात कापियां प्रार्थी पेश कर रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की पुराने टायर ट्यूब बेचने की दुकान है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा प्रार्थी को सामान तौलने के लिए है, जो कि सभी दुकानों पर आम सामान तौलने के लिए मालिक के द्वारा रखा जाता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] प्रार्थी की नही है। वह खराब मोटर थी और वह मोटर सौरभ यादव की है जो कि उसे द्वारा खराब मोटर को सही करने के लिए उसके पास छोड़ा गया था और मौका पर सौरभ यादव को बुलाया भी गया, उसके द्वारा यह कहा गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मोटर उसकी है, जो खराब है और उसे सही करने के लिए उक्त दुकान पर छोड़ा गया था। दुकानदार का कोई लेना देना नहीं है। परन्तु अधिकारी के द्वारा इस बात को अनदेखा कर मोटरों को गलत रूप से सीज किया गया है। इसलिए सभी सामान जो जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किये गये है, उसे प्रार्थी को दिया जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 07.09.2019 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए तहसील सूरतगढ में बीकानेर रोड, सिटी पुलिस थाने के सामने स्थित मै. राज टायर पंचर एण्ड गैस वैल्डिंग पर वास्ते जांच हेतु पहुंचे। मौके पर दुकानदार द्वारा एलपीजी चूल्हे आदि रिपयेर व विक्रय करने का कार्य किया जा रहा था। संजीव कुमार द्वारा कार्य की एवज में उपभोक्ताओं से राशि वसूली जाती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जांच के समय दुकान पर चालू हालात में 03 बीपीसी व 01 आईओसी कंपनी के घरेलू अनुदानित सिलेण्डर रखे मिले। जवाब के साथ उसके द्वारा तीन पास बुक की फोटो प्रति पेश की है, जिसमें उसके द्वारा किस कंपनी की पास बुक है, के बारे में अवगत नहीं करवया गया है और न ही उनके द्वारा उक्त पासबुक का सिलेण्डर अंकन का पृष्ठ पेश किया है, जो अप्रार्थी को सही साबित करता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में इलैक्ट्रॉनिक कांटा, रिफलिंग पाईप और इलैक्ट्रोनिक रिफिल मोटर के बारे में भी कोई स्पष्ट जवाब पेश नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थी से जब्तशुदा सिलेण्डर और अन्य सामान राजसात करने योग्य है।

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 07.09.2019 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक [illegible] कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, सूरतगढ हमराज [illegible] श्रीगंगानगर, तहसील सूरतगढ में बीकानेर [illegible] सामने स्थित मै. राज टायर पंचर एण्ड गैस वैल्डिंग पर जांच हेतु [illegible]चे। जांच के वक्त संजीव कुमार उक्त दुकान पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया व उसके द्वारा ही अपनी उपस्थिति में निरीक्षण करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

गया। मौके पर उसके एलपीजी चूल्हे आदि रिपेयर व विक्रय करने का कार्य किया जा रहा था। कार्य की एवज में अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं से राशि वसूली जाती हैं। वक्त जांच दुकान पर चालू हालत में 03 बीपीसी और 01 आईओसी कम्पनी के घरेलू अनुदानित सिलेण्डर (एस.आर.न. 008729, 63701, 438717, 813655) रखे मिले। इसके अलावा दुकान से 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 4 इलैक्ट्रॉनिक मोटर (गैर रिफिल में प्रयोग होने जैसी) बरामद की गयी। संजीव कुमार द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर व सामान के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया व न ही ब्ल्यू बुक आदि मौके पर पेश की गई। उसके साथ ही अन्य बारामद सामान से गैस रिफिल कर विक्रय करना प्रतीत हो रहा था। अप्रार्थी द्वारा व्यापार स्थल पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3 (1) (बी)(सी) व 7(1) (सी) की स्पष्ट अवहेलना के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत सीजशुदा चार घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर, 1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 4 इलैक्ट्रॉनिक रिफिल मोटर को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये **किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य** करने से या किसी चीज की कब्जे से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या दस्तावेज है उसी पर होगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि अप्रार्थी ने अपने उक्त व्यवसायिक स्थान पर अनुदानित चार घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर, 1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 4 इलैक्ट्रॉनिक रिफिल मोटर का व्यवसायिक उपयोग करके एलपीजी (रेगूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी), 7(1)(सी) की अवहेलना की है और अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र या अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जो यह साबित करता हो कि उसके द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना नहीं की है। इसलिए जब्त शुद्धा उक्त चार अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर (एस.आर.न. 008729, 63701, 438717, 813655), 1 इलैक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफिलिंग पाईप, 4 इलैक्ट्रॉनिक रिफिल मोटर राजसात करने योग्य है।

अतः अप्रार्थी से सीज शुद्धा उक्त एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर (एस.आर.न. 008729, 63701, 438717, 813655) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर का निस्तारण अति. आयुक्त खाद्य के परिपत्र क्रमांक एफ 68(8) खा.ले./नीति/6ए/2000, जयपुर दिनांक 19 अगस्त, 2000 में दिये गये निर्देशानुसार एवं राज्य पक्ष में निस्तारण करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested